

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 36/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

सतपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज0।

-वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज0।
2. ताराचन्द पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़राज0।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पेरोंकार राज तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री राकेशकुमार भाकर वकील-वादी  
श्री कुलदीप बिश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2  
राजपेरोंकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 26/3/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 3/4 एन. डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या नया 125 पुराना 100 के प0न0 16/27 के मु0नं0 36 के किला नं0 3/1 की 0.2280है0, 3/2 की 0.0250है0 गै0मु0खाला, 4/1 की 0.2280है0, 4/2 की 0.0250है0 गै0मु0खाला, 5/1 की 0.2020है0, 5/2 की 0.0510है0 गै0मु0खाला, 6/1 की 0.2280है0, 6/2 की 0.0250है0 गै0मु0खाला, 7 की 0.2530है0, 8 की 0.2530है0, 13 की 0.2530है0, 14 की 0.2530है0, 15/1 की 0.2280है0, 15/2 की 0.0250है0 गै0मु0खाला, 16/1 की 0.2280है0, 16/2 की 0.0250है0 गै0मु0खाला, 17 की 0.2530है0 18 की 0.2530है0 कुल तादादी 3.0360है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/3/2025

... को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

